

कार्यालय नगर पालिका परिषद, अशोकनगर (म.प.)

[5/12/2025]

(3)

क्रमांक/तकनीकि/2025/5918 मुह. सं. [क. 797]

दिनांक :- 30/10/2025

परिशिष्ट
अ
(1/2)

प्रति,

माननीय श्री हरिबाबू राय जी
विधायक, विधानसभा क्षेत्र- अशोकनगर
जिला अशोकनगर

विषय :- नेहरू बाल उद्यान में पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा स्थापना हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने के निवेदनार्थ।

संदर्भ :- परिषद बैठक दिनांक 17.10.2025 में माननीय द्वारा दी गई सहमति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि नेहरू बाल उद्यान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति स्थापना करने के संबंध में दिनांक 17.10.2025 को निकाय की परिषद बैठक में प्राप्त स्वीकृति अनुसार उक्त स्थान पर माननीय पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा स्थापना करवाया जाना है। उक्त मूर्ति स्थापना हेतु निकाय की कमजोर वित्तीय स्थिति से आपको परिषद बैठक दिनांक 17.10.2025 को अवगत कराया जाकर मूर्ति स्थापना हेतु विधायक निधि से अनुमानित राशि रु. 5.00 लाख उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया था, जिस पर आपने सहमति व्यक्त की थी।

अतः उक्त कार्य कराये जाने हेतु उक्त राशि निकाय को जिला योजना अशोकनगर से उपलब्ध कराये जाने का आपसे सादर अनुरोध है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद अशोकनगर
दिनांक :- 30/10/2025

पृ.क्रमांक/तकनीकि/2025/5910

प्रतिलिपि :-

जिला योजना अधिकारी महोदय, जिला अशोकनगर की ओर उक्त कार्य हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद अशोकनगर

गजेन्द्र सिंह यादव
सहायक संचालक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आपस विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर (म.प्र.)



प्रतिलिपि :- परिषद संकल्प क्रमांक 19/5 दिनांक 17.10.2025

विषय :- नेहरू बाल उद्यान में पं. श्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने बाबत।

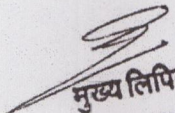
—00—

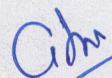
नेहरू बाल उद्यान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पं.श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति स्थापना करने के संबंध में सदन में चर्चा माननीय विधायक जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। सदन द्वारा मूर्ति स्थापना की सहमति दी एवं निकाय की वित्तीय स्थिति ठीक ना होने से उक्त कार्य हेतु राशि विधायक निधि से उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया। राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में उक्त कार्य कराये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाही मुख्य नगरपालिका अधिकारी करें, एवं कार्य की अन्य अपेक्षित स्वीकृतियों हेतु माननीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है।

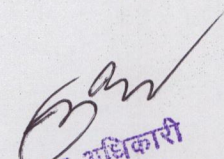
प्रस्ताव पारित।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष एवं सी.एम.ओ.

—:: सत्यप्रतिलिपि ::—


मुख्य लिपिक
नगरपालिका अशोकनगर


(गजेन्द्र सिंह यादव)
सहायक संचालक


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
संचालक, भोपाल